न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 17 / 2021

प्रार्थी : –

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री बाबूसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी सनवाडा (आर) तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 86 दिनांक 25.11.2007 बुक संख्या 123 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पारित बुक संख्या 123 पट्टा संख्या 86 दिनांक 25.11.2007 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के पूर्व में इन्द्रा आवास योजना में स्वयं का आवास निर्माण हो चुका है एवं [illegible] के ग्राम सनवाडा आर में आवासीय मकान उपलब्ध है, जिससे अप्रार्थी संख्या [illegible] नियम 158 के तहत पात्रता नहीं रखता है। यह है कि पट्टा [illegible] राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 144 [illegible] की गई है तथा नियमों की पूर्ण अवहेलना कर उक्त पट्टे को विधि विरूद्ध जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने अपने स्वयं के नाम से इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं लिया है एवं न ही अप्रार्थी संख्या दो के पास ग्राम सनवाडा आर में कोई अलग से मकान है। अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री देवीसिंह के पुश्तैनी मकान का पट्टा पंचायत नियम 266 के तहत जारी किया गया था एवं श्री देवीसिंह के पांच पुत्र थे एवं पूर्व में जारी उक्त पट्टे में एक ही मकान बना हुआ है, जो पुश्तैनी है। अप्रार्थी संख्या दो के पास कोई पट्टेशुदा मकान नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री देवीसिंह के पुश्तैनी उक्त पट्टेशुदा सम्पत्ति के लगती पुश्तैनी कब्जेशुदा भूमि आई हुई थी, जिसका अप्रार्थी संख्या दो पंचायत नियम 156 के तहत आपसी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का निवेदन किया था, जिसकी मिसल संधारण दिनांक 01.07.2007 को किया एवं निर्णय दिनांक 25.11.2007 को हुआ एवं उसकी पालना में पट्टा दिनांक 18.11.2009 को जारी किया गया था। पंचायत द्वारा नियम 144 से 160 की नियमानुसार पालना कर ही पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र का खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन क़िया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है, अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत सनवाडा आर में आवासीय मकान उपलब्ध है। यह है कि अप्रार्थी द्वारा नियम 156 के तहत आपसी बातचीत के द्वारा पट्टा चाहा गया था, परन्तु ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. से राशि वसूल नहीं करते हुए रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा अप्रार्थी की मांग के विपरीत जाकर राजकोष को नुकसानकारित किया गया प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा/विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 144 से 160 की पालना नहीं करते हुए नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा जारी उक्त विवादित पट्टे पर ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि नियम 167(2) के तहत पट्टे पर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा दिनांक 25.11.2007 को जारी किया गया है। चूंकि दिनांक 25.11.2007 को रविवार था, जबकि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा दिनांक 25.11.2007 को रविवार के दिन बैठक होना दर्शाते हुए उक्त दिनांक को पट्टा जारी किया है, जो पट्टे जारी करने की कार्यवाही पर संदेह पैदा करता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा अपार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 86 दिनांक 25.11.2007 बुक संख्या 123 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner